न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—21 / 2021 / 225 (2021 / 21)

1. सरदारा पुत्र सुजान,
2. सायरी पुत्री सुजान,
3. हगामी पुत्री सुजान,
4. रामलाल पुत्र सुजान,

समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम घूघरा, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. गीतादेवी पत्नि महेशचंद जाति ब्राहमण, निवासी 236 / 13 शिव गली घी—मण्डी, नया बाजार, अजमेर ।
2. राजेन्द्र पुत्र लादूराम, जाति ब्राहमण, निवासी गंदी मौहल्ला, होलीदड़ा, अजमेर ।
3. सुरेश कुमार पुत्र पोखरमल, जाति ब्राहमण, निवासी पुलिस लाईन के नायको का मौहल्ला, पिलानी, तह0 पिलानी, जिला झुझंनू ।
4. बनवारीलाल पुत्र नामालूम, निवासी महर्षि भारद्वाज स्कूल गुर्जर छात्रावास के पीछे, घूघरा, तहसील व जिला अजमेर ।
5. अनिल पुत्र नामालूम, निवासी महर्षि भारद्वाज स्कूल गुर्जर छात्रावास के पीछे, घूघरा, तहसील व जिला अजमेर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

7. नाथू पुत्र सुजान,
8. गोरधन पुत्र सुजान,

जाति गुर्जर, निवासी ग्राम घूघरा, तह0 व जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर दिनांक 1.1.2021 अंतर्गत प्रकरण संख्या 01 / 2021.

उपस्थितः—

1. श्री विकास कुमार गुगरवाल एवं श्री रामसुख चौधरी, वकील अपीलांटस ।

निर्णय

दिनांकः— 25.1.2021

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर के आदेश दिनांक 01.01.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

2. वादीगण/अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 53 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत ग्राम घुघरा, तहसील व जिला अजमेर में स्थित आराजियात खाता संख्या 413 पुराना 932 के खसरा नंबर 1851/4167 रकबा 0.0800 है0, खसरा नंबर 1866 रकबा 0.0400 है0, खसरा नंबर 1869/4063 रकबा 0.0200 है0 व खसरा नंबर 1886/3914 रकबा 0.0700 है0 के बाबत् प्रस्तुत किया एवं वादीगण/अपीलांटस ने वादपत्र के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 व असल रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की सहखातेदारी/सहकाश्तकारी की आराजियात ग्राम घुघरा तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है जो जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के अनुसार अपीलांटस व तरतीबी रेस्पो0 व असल रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की सहकाश्तकारी खातेदारी की आराजियात है जिसमें अपीलांटस व प्रफोर्मा रेस्पो0 प्रत्येक का 317/2520 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है तथा रेस्पो0 संख्या 1 का 53/525, रेस्पो0 संख्या 2 का 109/2100 हिस्सा, रेस्पो0 संख्या 3 का 97/1050 हिस्सा निहित होकर वादग्रस्त आराजियात पर अपीलांटस, तरतीबी रेस्पो0 व रेस्पो0 संख्या 1 से 3 आज दिनांक लगातार संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है । विवादित आराजियात का आज दिनांक न्यायिक बंटवारा नहीं हुआ है किन्तु अप्रार्थीगण ने बिना विधिक बंटवारा कराये अपने हिस्से व भूमि के विशेष भू–भाग पर स्थाई रूप से पक्का निर्माण कार्य करवाना प्रारंभ कर दिया है तथा अजनबी क्रेतागण को वादग्रस्त आराजियात में से भूमि का विशेष भू–भाग रहन, बेचान एवं मुन्तकिल करने पर सख्त आमादा है । अतः अप्रार्थीगण को वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने 01.01.2021 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करते हुए बिना किसी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तारित किये तथा प्रकरण में आगामी तारीख पेश दिनांक 8.2.2021 नियत करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी सम्मन जारी करने के आदेश प्रदान कर दिये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 एवं असल रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की सहखातेदारी/काश्तकारी की आराजियात ग्राम घुघरा तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है जो जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के अनुसार अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पो0 व असल रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की सहखातेदारी/सहकाश्तकारी की आराजियात है जिसमें अपीलांटस व तरतीबी रेस्पो0 प्रत्येक का 317/2520 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है तथा रेस्पो0 संख्या 1 का 53/525, रेस्पो0 संख्या 2 का 109/2100 हिस्सा, रेस्पो0 संख्या 3 का 97/1050 हिस्सा निहित होकर पक्षकारान संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु रेस्पो0 अपीलांटस के कब्जे काश्त में दखलदांजी एवं मदाखलत उत्पन्न करने एवं प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने एवं विवादित आराजियात को अन्यंत्र रहन, बेचान एवं मुन्तकिल करने तथा भूमि की शक्ल परिवर्तन करने पर आमादा है तथा भूमि के विशेष भू–भाग पर पक्का निर्माण करने पर आमादा है । ऐसी स्थिति में अविभाजित भूमि बाबत् अधी0न्याया0 को अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करना आवश्यक था किन्तु अधी0न्याया0 ने बिना किसी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित किये बिना केवल मात्र प्रकरण

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी के रजिस्टर्ड एडी सम्मन जारी करने के गैर कानूनी आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । वादग्रस्त आराजियात पक्षकारान की पैतृक सहकाश्तकारी खातेदारी की आराजियात है जिसका विधिवत् बंटवाराये कराये बिना अप्रार्थीगण को विवादित आरायिजात के विशेष भू–भाग पर पक्का निर्माण करने, बेचान करने का विधिक अधिकार नहीं है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 को अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना न्यायोचित था किन्तु अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअदांज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है। सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 39 में वर्णित प्रावधानों को नजरअदांज करते हुए बिना किसी प्रभावी आदेश अर्थात् अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित किये बिना ही अप्रार्थीगण को केवल मात्र प्रार्थना पत्र के रजिस्टर्ड नोटिस भेजने के आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपीलांटस के पक्ष में बखूबी साबित थे इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं कर विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 स्वीकार कर रेस्पो0 को वादग्रस्त आराजियात पर पक्का निर्माण कार्य करने, रहन, बैचान, मुन्तकिल करने तथा भूमि की किस्म को परिवर्तित करने से पाबंद किये जाने के आदेश प्रदान करावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में डी0एन0जे0 2014 (1) पेज 35, आर0बी0जे0 2000 पेज 373, आर0बी0जे0 1994 पेज 159, आर0बी0जे0 1998 पेज 435, आर0बी0जे0 1996 पेज 338, आर0बी0जे0 1996 पेज 91, आर0बी0जे0 1998 पेज 285, आर0बी0जे0 2016 पेज 468, आर0बी0जे0 1999 पेज 377, 438, आर0बी0जे0 2006 पेज 417, आर0बी0जे0 2015 पेज 299, आर0बी0जे0 2016 पेज 142, 468, आर0आर0डी0 1985 पेज 351, डी0एन0जे0 2014 (1) पेज 35 एवं आर0बी0जे0 2017 पेज255 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात पक्षकारान की सहखातेदारी, सहकाश्तकारी की आराजियात होकर अविभाजित आराजियात है किन्तु रेस्पो0 संख्या 1 बिना विधिक विभाजन के विवादित आरायिजात के विशेष भू–भाग पर पक्का निर्माण करने तथा अन्यत्र रहन, बेचान, हस्तातंरण करने पर आमादा है । अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 1.1.2021 को प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण को सुनकर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड एडी नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये तथा पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 8.2.2021 नियत की है । अधी0न्याया0 की इस आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का अंतिम आदेश पारित न कर विधिक प्रक्रिया के तहत अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश पारित कर प्रकरण में आगामी तारीख दिनांक 8.2.2021 नियत की है जो आदेश की श्रेणी में न होकर एक विधिक प्रक्रिया है । अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार का अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है । इस कारण अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नहीं है । हम न्यायहित में पक्षकारान के समय एवं आर्थिक मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए प्रकरण को इसी स्तर पर निर्णित कर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

प्रकरण को अधी0न्याया0 को शीघ्रताशीघ्र निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है ।

6. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 को शीघ्रतिशीघ्र निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 25.1.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर